<u>प्रकरण संख्या 25/2023 खेमराज व अन्य बनाम श्रीमती सलुबाई व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.2024	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत। अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 23.06.2023 को रिमाण्ड हुई। अधिवक्ता का पक्षकार से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है तथा मृतक अपीलान्टगण के वारिसान ने भी अधिवक्ता से कोई सम्पर्क नहीं किया है, जिससे उन्हें अपीलान्टगण की मृत्यु की जानकारी नहीं हो सकी। अतः मृतक अपीलान्टगण के वारिसान को नोटिस जारी किया जाकर उन्हें सूचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 की करीब 4 वर्ष पूर्व, अपीलान्ट संख्या 2 की करीब 6 वर्ष पूर्व, अपीलान्ट संख्या 3 की करीब 7 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8 व 9 की भी क्रमशः 2, 3, 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। कोई भी अपीलार्थी जीवित नहीं है, जिससे अपील पूर्णतया उपशमन हो चुकी है, क्योंकि किसी भी वारिसान की नामकायमी नहीं करायी गयी है। इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8 व 9 की क्रमशः 2, 3, 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिसान की भी नामकायमी नहीं करवायी गयी है। इस कारण अपीलद एबेट जो जाने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट संख्या 1, 2 व 3 की मृत्यु क्रमशः 4 वर्ष, 6 वर्ष व 7 वर्ष पूर्व तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8 व 9 की मृत्यु क्रमशः 2, 3, 1 वर्ष पूर्व होना बताते हुए वर्तमान में कोई भी अपीलान्ट जीवित नहीं होना तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8 व 9 की भी मृत्यु क्रमशः 2, 3, 1 वर्ष पूर्व होना बताते हुए किसी भी मृतक की नामकायमी नहीं कराये जाने से अपील एबेट हो जाने से खारिज करने का निवेदन किया है, जिसका कोई खण्डन अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में सभी अपीलान्टगण की मृत्यु हो चुकी है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी नामकायमी बाबत् कोई आवेदन अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपील एबेट हो जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Kirti Rathore Date: 2024.12.12 11:26:37 IST Reason: SelfAttested (कीर्ति राठौड़) [illegible] अधिकारी [illegible] राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:37 IST
Reason: SelfAttested